

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096

Government of India
Ministry of Commerce & Industry
SEEPZ Special Economic Zone Authority
Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

F.No. E-OPT-12/103/2022-EO/10867

Date 21-08-2025

Office Order No. 04/2025

केयरटेकर के रूप में नियुक्ति के लिए सुरक्षा गार्डों से प्राप्त आवेदनों की जांच/जांच करने हेतु समिति के संबंध में कार्यालय आदेश संख्या 1 2 दिनांक 11.10.2021 के अधिक्रमण में:

सुरक्षा गार्डों को केयरटेकर के रूप में नियुक्ति के लिए जारी परिपत्र के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों की जांच और परीक्षण करने के लिए, एक समिति गठित की जाती है, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी शामिल होंगे:

| | | |
|---|-----------------------------|---------|
| 1 | संयुक्त विकास आयुक्त, सीपज़ | अध्यक्ष |
| 2 | उप विकास आयुक्त, सीपज़ | सदस्य |
| 3 | संपदा एडीसी, सीपज़ | सदस्य |

उक्त समिति सभी पहलुओं की जांच करेगी और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

यह विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

In supersession of Office Order No. 12 dated 11.10.2021 regarding the committee to scrutinise/examine applications received from security guards for appointment as Caretakers:

In order to scrutinize and examine applications received in response to the Circular issued to security guards for appointment as Caretakers, a committee is hereby constituted, comprising the following officers/officials:

| | | |
|---|--|-------------|
| 1 | Joint Development Commissioner, SEEPZ | Chairperson |
| 2 | Deputy Development Commissioner, SEEPZ | Member |
| 3 | ADC Estate, SEEPZ | Member |

The said Committee will examine all the aspects and submit their report before the Competent Authority.

This issues with the approval of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ

Digitally signed by
Mayur Ramesh Mankar
Date: 21-08-2025
20:57:34 (Mankar)
संयुक्त विकास आयुक्त
सीपज़-एसईजेड

Copy to:

1. सभी सदस्य, SEEPZ-SEZ
2. कार्यालय आदेश फ़ाइल
3. कार्यालय आदेश रजिस्टर
4. डीसीओ और जेडीसीओ, डीडीसीओ, सीपज़-एसईजेड